भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1035

10.02.2025 को उत्तर के लिए

गोवा में प्रस्तावित पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र

1035. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा जारी सक्रिय पर्यावरण मंजूरी (खनन) के आलोक में बाहर रखे जाने के लिए अनुशंसित गांवों सहित पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) से संबंधित 31 जुलाई, 2024 को प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना से गोवा राज्य सरकार द्वारा बाहर रखे जाने के लिए अनुशंसित गांवों के नामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पश्चिमी घाटों में किसी गांव की ईएसए के रूप में पहचान किए जाने के मानदंड का ब्यौरा क्या है;

(ग) गोवा राज्य के संबंध में 31 जुलाई, 2024 को प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना के पश्चात् प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय दल (एमओईएफसीसी) के गोवा दौरे के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त सहित उक्त राज्य सरकार द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत नक्शे, जल निकायों, वन क्षेत्रों आदि से संबंधित अंतिम प्रतिवेदन सहित सभी प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) पश्चिमी घाट क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता सहित संवेदनशील पारिस्थितिकी प्रणाली की सुरक्षा करने और इसके पारिस्थितिक महत्व पर विचार करने के लिए, इस मंत्रालय ने डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय कार्यकारी समूह की रिपोर्ट के आधार पर छह राज्यों अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैले 56,825 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सहित दिनांक 31.07.2024 के का.आ. 3060 (अ) के माध्यम से मसौदा अधिसूचना को फिर से प्रकाशित किया है। गोवा सरकार ने दिनांक 10.01.2025 के अपने नवीनतम प्रस्ताव में राज्य में 84 गांवों को पश्चिमी घाट पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव किया है, जिसमें दिनांक 31 जुलाई, 2024 को इस मंत्रालय द्वारा

प्रकाशित पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र पर मसौदा अधिसूचना में 24 गांव शामिल नहीं हैं।

पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों सहित हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए, मंत्रालय ने छह राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के सुझावों की समग्र रूप से जांच करने के लिए एक समिति गठित की है, जिसमें गांवों को शामिल करने/बाहर करने से संबंधित मुद्दों और आपदा-प्रवण प्राचीन पारिस्थितिकी प्रणाली के संरक्षण पहलुओं और क्षेत्र के अधिकारों, विशेषाधिकारों, जरूरतों तथा विकासात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी अंतिम अनुशंसाएं प्रस्तुत करना शामिल है। दिनांक 31 जुलाई, 2024 को प्रकाशित मसौदा अधिसूचना के प्रकाशन के अनुसरण में पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत निर्धारित समय में प्राप्त सुझाव और आपत्तियां संबंधित राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दी गई हैं।

*****